(83)

सख्या — /XXIV(6)/2011

प्रेषक,

डॉ0 निधि पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 9 नवम्बर, 2011

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर् पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : यूओयू/आर–1/2011–344 दिनांक 08,नवम्बर–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के मुख्य आय–व्ययक में ₹ 100 लाख तथा अनुपूरक मांग के तहत ₹ 60 लाख इस प्रकार आयोजनेत्तर पक्ष में कुल प्राविधानित धनराशि ₹ 01,60,00,000.00 (₹ एक करोड़ साठ लाख मात्र) में से विश्वविद्यालय के कार्मिकों के वेतन एवं अन्य वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों आदि के भुगतान के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 50 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या : 22/xxiv(6)/ 2011 दिनांक 02, मई 2011 एवं द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 50 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या : 22/xxiv(6)/ 2011 दिनांक 19,सितम्बर–2011 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इस धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के उपरान्त विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्तावानुसार आगामी माहों हेतु कार्मिकों के वेतन भत्तों तथा अन्य अवचनबद्ध मदों के भुगतान हेतु तृतीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि **₹ 60,00,000.00 (₹ साठ लाख मात्र)** निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यक मितव्ययिता को ध्यान में रखकर, मासिक व्यय की सारिणी बनाकर नियमानुसार ही किया जायेगा । व्यय करते समय वचनबद्ध मदों को प्राथमिकता दी जायेगी । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0 एस0एण्डडी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना होगा तथा समय– समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा । कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3— स्वीकृत की गयी धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी ।

4— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वचनबद्ध मदों के व्यय को प्राथमिकता दी जायेगी।

5— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है । भविष्य में भेजे जाने वाले प्रस्तावों के साथ विश्वविद्यालय की विभिन्न स्रोतों से आय एवं व्यय का प्रमाणित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा ।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—आयोजनेत्तर—07—राज्य मुक्त विश्वविद्यालय—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 49 (NP)/XXVII(3)/ 2011—12 दिनॉक 29,नवम्बर—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या : 22 /XXIV(6)/2011 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
3. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग—3 उत्तराखण्ड शासन ।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।